राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लालाराम बनाम कल्ली हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	149/2012 387/2019	
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 149/2012 एवं 387/2019 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/04/2026 को पेश हो		
23/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा हक तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 06 सीपीसी का पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी ख़ारिज कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 06 सीपीसी स्वीकार किया गया एवं तत्पश्चात प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/04/2012 पारित करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ के खसरा नम्बर 156 रकबा 03 बीघा तथा ग्राम मथुरादासपुरा के खसरा नम्बर 64/1, 64/2, 69/6, 69/25/2, 69/26/2, 69/27/2, 69/33 कुल किता 07 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा के 1/2 हिस्से का वादियागण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये दोनों पक्षों की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिनांक 11/01/2018 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया	जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/04/2012 के विरुद्ध अपील संख्या 149/2012 एवं अन्तिम निर्णय दिनांक 11/01/2018 के विरुद्ध अपील संख्या 387/2019 इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है	अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है	निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लालाराम बनाम कल्ली हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	149/2012 387/2019	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयां पारित करते हुये पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य किया गया विभाजन मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर न्यायोचित्त रूप से किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन अपील संख्या 387/2019 प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर लम्बी अवधि की देरी को कन्डोन करवाना चाहा गया है किन्तु अपने प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के सम्बन्ध में युक्तियुक्त एवं ठोस कारण/आधार जाहिर नही किये गये है, जिससे की उन्हें मियाद का लाभ प्रदान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो | अत: ऐसी स्थिति में अपील संख्या 387/2019 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने न्यायोचित्त प्रतीत नही होते है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले क्रमश: 149/2012 व 387/2019 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीये क्रमश: 09/04/2012 एवं 11/01/2018 यथावत रखे जाते है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर